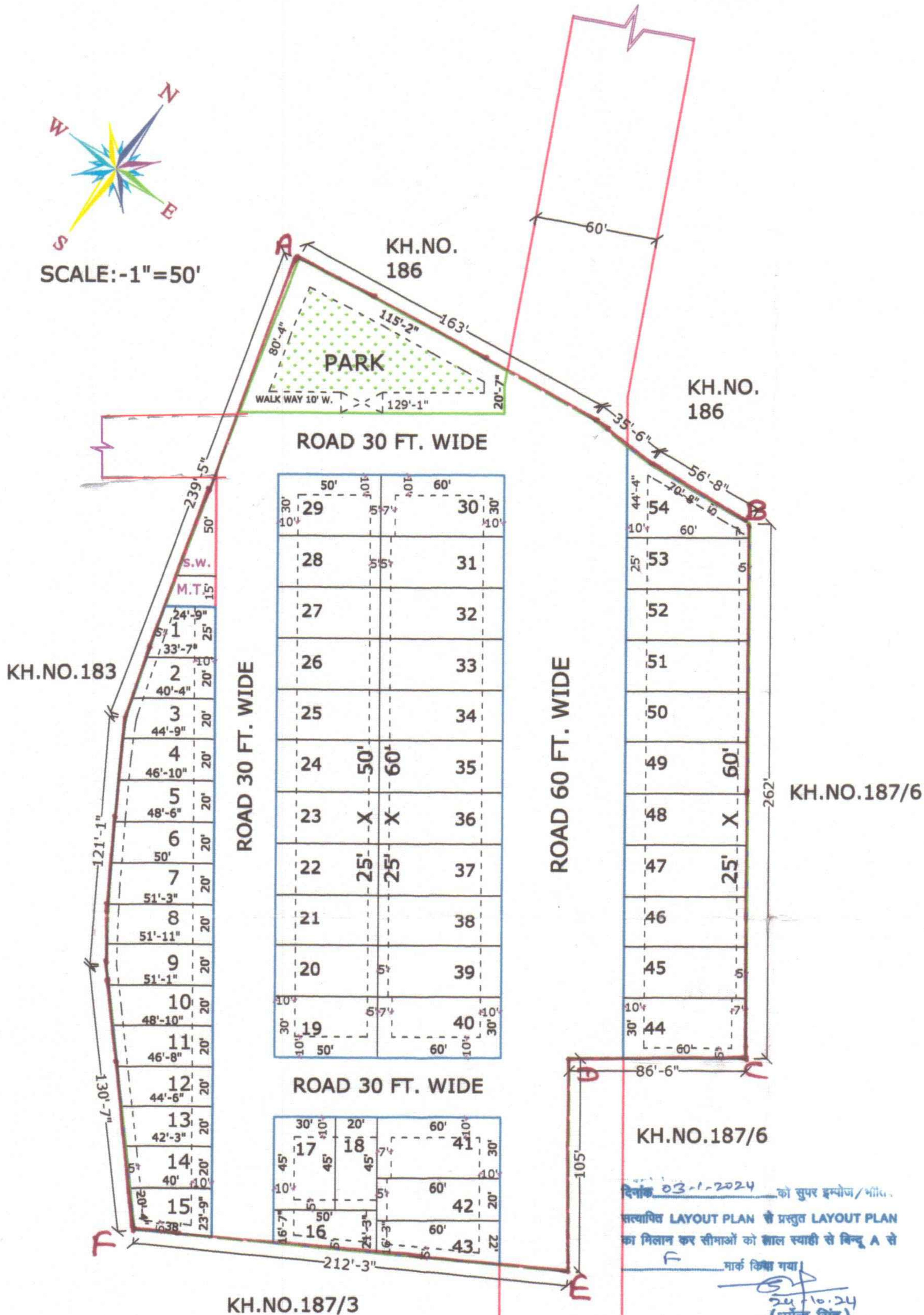
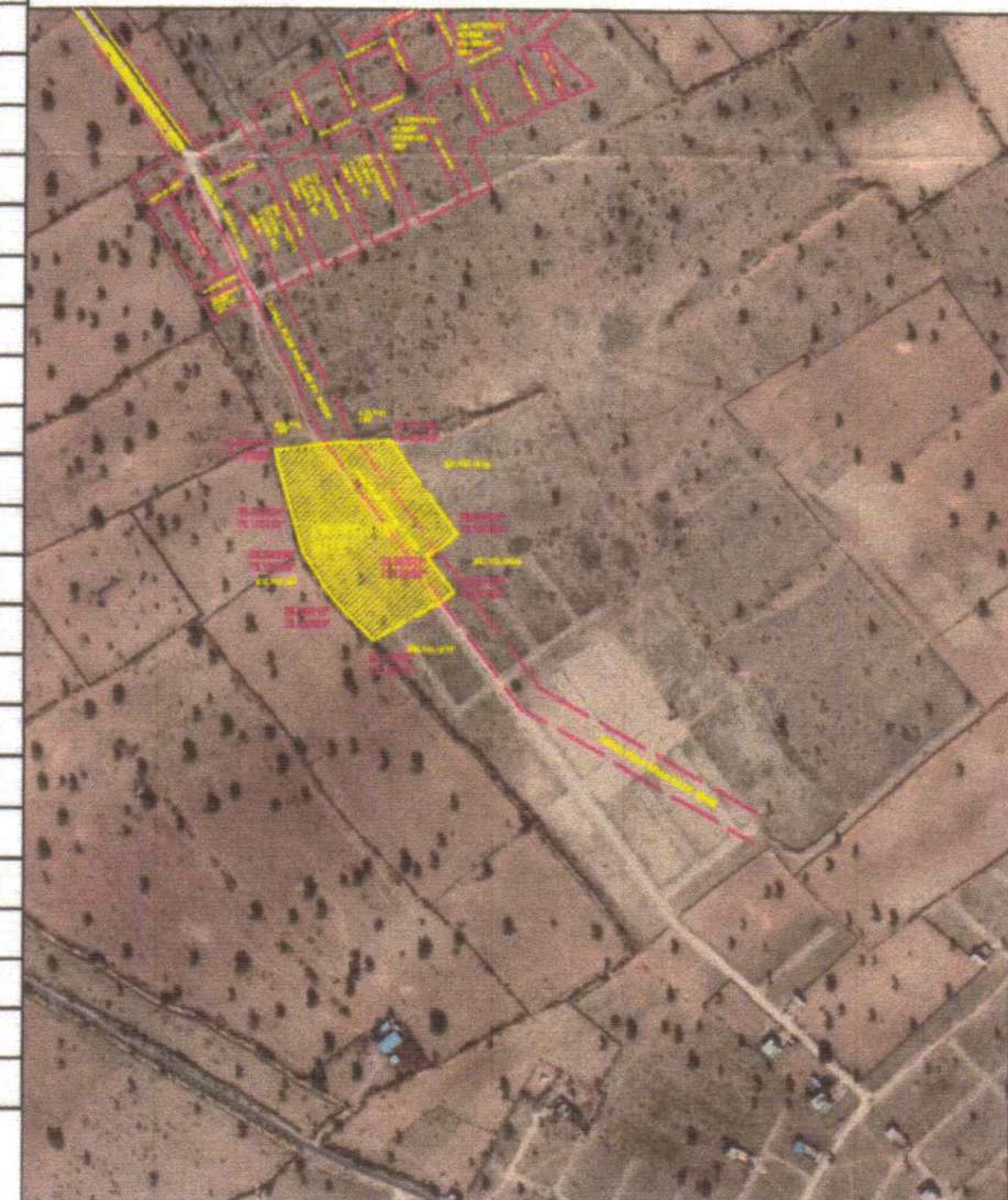
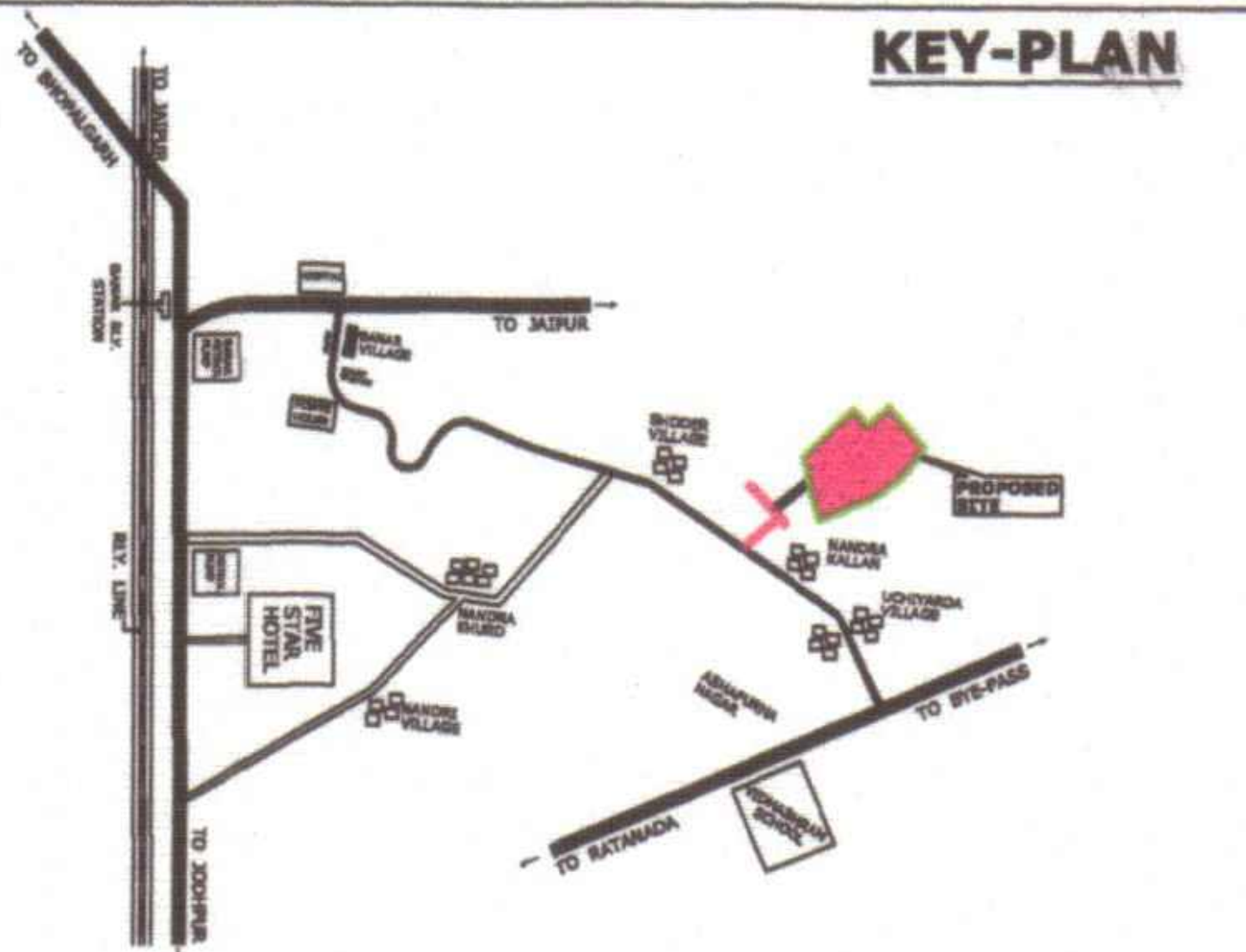
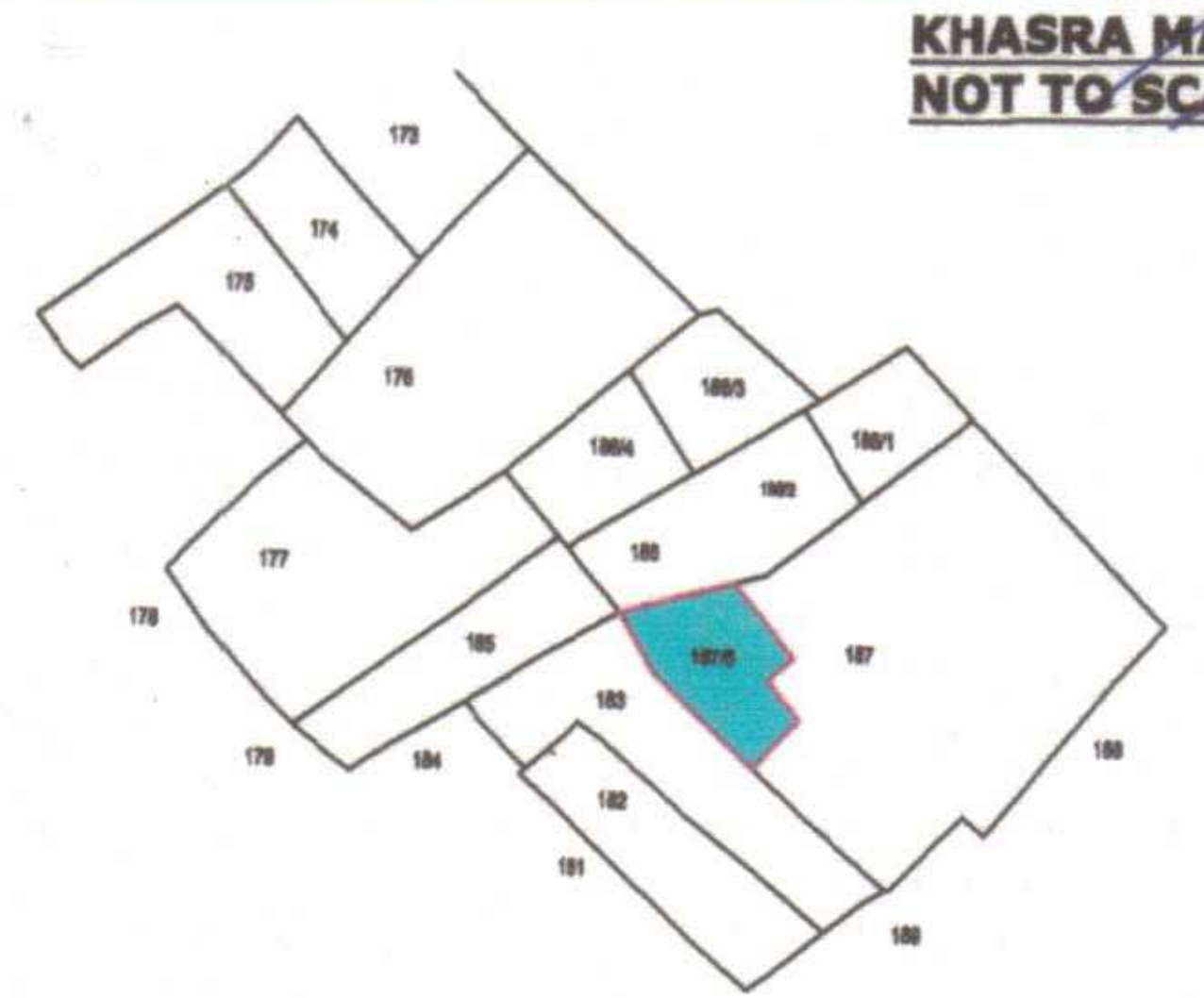


LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 187/5 OF VILLAGE NANDRA KALLAN DIST. JODHPUR



PLOT NO.	SQ.YDS.
1	81.28
2	82.11
3	95.56
4	101.96
5	105.88
6	109.4
7	112.68
8	114.73
9	115.29
10	110.91
11	106.1
12	101.32
13	96.31
14	91.36
15	94.87
16	105.09
17	150
18	100
19	166.66
20	138.89
21	138.89
22	138.89
23	138.89
24	138.89
25	138.89
26	138.89
27	138.89
28	138.89
29	166.66
30	200
31	166.66
32	166.66
33	166.66
34	166.66
35	166.66
36	166.66
37	166.66
38	166.66
39	166.66
40	200
41	200
42	133.33
43	127.19
44	200
45	166.66
46	166.66
47	166.66
48	166.66
49	166.66
50	166.66
51	166.66
52	166.66
53	166.66
54	163.75
	7682.6

LAND USES ANALYSIS			
PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA in Sq.mtr.	AREA OF %
TOTAL PLOT AREA	7682.60	6423.62	59.03 %
PARK AREA	662.77	554.16	05.09 %
M.T./S.W.D. AREA	90.73	75.86	00.70 %
ROAD AREA	4578.66	3828.34	35.18 %
TOTAL SCHEME AREA	13014.76	10881.98	100.00 %
ARA IN BIGHA- 6 BIGHA, 14 BISHWA, 09 BISHWANSHI			



एजेन्डा संख्या 02 (राजकाज सं. 01896) (सूचक दिनांक 27.09.2024) :-		जोन-01
1.	आयोजना शाखा में प्रारंभिक/दिनांक	277 / 06.03.2024
2.	आवेदक का नाम	श्री मदन राम पुत्र श्री चौधाराम जरीये रजिस्टर्ड खास नुक्कादर श्री नरपत सिंह पुत्र श्री हरीसिंह
3.	राजस्व ग्राम	नागवड़ा कला
4.	खसरा संख्या	187 / 5
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	10926.50 वर्गमीटर
6.	प्राप्ति द्वारा बांटा गया उपयोग	आवासीय योजना
7.	निर्णय :- समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ से-आउट प्लान अनुमोदित किया जाने का निर्णय लिया गया:- 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटेड एम्प्लोयमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध हो रहे 18 मीटर (सड़क के मध्य बिन्दु से 09 मीटर) सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जाये। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्राप्ति की भूमि में से जोविधा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जाये। 2. आवेदित भूमि के मानचित्र/से-आउट प्लान पर नियमानुसार सेटबैक का अंकन करते हुए जारी किए जाने की सुनिश्चितता की जाये एम्प्लोयमेंट प्लान के अन्तर्गत क्षेत्र में अन्य उपयोगों की ओर 03 मीटर आन्तरिक पार्थक्य-रे का अंकन किया जाये। 3. राजस्वग्राम टाउनशिप पोलीसी-2010 व उसका के प्रम में समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों अनुसार आवश्यक शुल्क एम्प्लोयमेंट प्लान की पालना की सुनिश्चितता जोन/आवेदक द्वारा की जाये। 4. नुक्कादरी जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जाये। 5. रेरा अधिनियम-2017 के तहत राजस्वग्राम रिजल्ट एस्टेट रेगुलेशन ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातादारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटिंग योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है। उक्त की सुनिश्चितता एवं प्रस्तावित योजना में जल एवं विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चितता प्राप्ति स्वयं के स्तर पर किये जाने का शपथ-पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जाये। 6. अनुमोदित मानचित्र में दशांग्रे सुविधा क्षेत्र, सड़क, पार्क इत्यादि के डिमांडेशन की कार्यवाही होने, सड़क मार्गाधिकार में निर्माण नहीं होने, पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व सीके पर निर्माण होने की स्थिति में राशि लिए जाने एवं सेटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा नवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटवाये जाने इत्यादि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाये। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित नवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से नवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।	

दिनांक 03-1-2024 को सुपर इम्पोज/भारत
सत्यापित LAYOUT PLAN से प्रस्तुत LAYOUT PLAN
का मिलान कर सीमाओं को काल स्याही से बिन्दु A से
मार्क किया गया।
24/10/24
(धर्मेन्द्र सिंह)
निरीक्षक (पू.अ.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

JDA/DIR(P)/Z-01/266

28/10/2025

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Kumawat Survey & Planning Services
66 Laxmi Vihar, Madhuban Housing Board, Jodhpur
Reg. No. C.T.P. RAJ/NAGAR MITRA 2021 (861) 670